

केन्द्रीयविद्यालय (ए.एफ.एस)
हाईग्राउंड्स
चंडीगढ़ - 160004
(जीरकपुर - पटियालारोड)
Ph:01762-288044
afshighgrounds.kvs.ac.in



KENDRIYA VIDYALAYA (AFS)
HIGH GROUNDS
CHANDIGARH - 160004
(Zirakpur - Patiala Road)
Ph : 01762-288044

Email:kvchdhighgrounds@gmail.com

Date: 20-09-2023


OFFICE-ORDER

In compliance to KVs (HQ) New Delhi Order No, 11-55/2000-KVs (Vig) Pt-11212-25 Dated: 07.07.2023 an **Internal Complaint Committee** Comprising of the following officers is hereby constituted for timely redressal of grievance under Article-4 of Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition & redressal) Act-2013 for employees of Kendriya Vidyalaya High Grounds, Chandigarh, which will work with immediate effect till further orders:

S.NO	Name of Officer & Designation	Member	Jurisdiction
1	Ms. Swaty Aggarwal Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun.	Presiding Officer	To inquire into the complaint of sexual harassment at workplace against the officials at Kendriya Vidyalaya High Grounds, Chandigarh up to level of ASO and against PGTs, TGTs and PRTs.
2	Ms. Bindu , NGO Member Guru Aasra , Palsora, Mohali(9915251768	Member	
3	Ms.Kanchan, PGT (chem.)	Member	
4	Mr.Saryog Prakash, TGT-S.Science	Member	
5	Ms. Mandeep Kaur, PGT-Hindi	Member	

Working of Internal Complaint Committee:

- All complaints will be dealt with confidently.
- Only matters pertaining to sexual harassment and/or discrimination of staff and students will be under the jurisdiction of ICC.
- Interview with the complainant and the accused will be conducted separately.
- Minutes of interview will be signed by all present.
- Necessary action as deemed will be taken.
- Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition & redressal) Act-2013.
- Handbook on Sexual Harassment of women at workplace, 2015.


PRINCIPAL

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड
Kendriya Vidyalaya High Ground
चंडीगढ़ / Chandigarh-160 004
www.kvs.ac.in

केंद्रीयविद्यालय (ए.एफ.एस)
हाईग्राउंड्स
चंडीगढ़ - 160004
(जीरकपुर - पटियालारोड)
Ph:01762-288044
afshighgrounds.kvs.ac.in



KENDRIYA VIDYALAYA (AFS)
HIGH GROUNDS
CHANDIGARH - 160004
(Zirakpur - Patiala Road)
Ph : 01762-288044

Email:kvchdhighgrounds@gmail.com

दिनांक: 20-09-2023

कार्यालय-आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के आदेश संख्या, 11-55/2000-के.वी.एस(सतर्कता) भाग-11212-25 दिनांक: 07.07.2023 के आलोक में कार्यस्थ पर महिलाओं से यौनउत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अनुच्छेद-4 के तहत केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड्स, चंडीगढ़ में प्राप्त शिकायतों के निवारण के सम्बंध निम्नलिखित सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जोकि तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक कार्य करेगी।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम और पता	समिति में धारित पद	क्षेत्राधिकार
1	श्रीमति स्वाती अग्रवाल, सहायक आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	पीठासीन अधिकारी	केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड्स चंडीगढ़ में अधिकारियों के खिलाफ एएसओ स्तर तक और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की शिकायत की जांच करना।
2	श्रीमती बिंदु, गैर-सरकारी संगठन, सदस्य गुरुआसरा, पलसोरा, मोहाली(9915251768)	सदस्य	
3	श्रीमती कंचन, पीजीटी -रसायन विज्ञान	सदस्य	
4	श्री सरयोग प्रकाश, - टीजीटी सामाजिकविज्ञान	सदस्य	
5	श्रीमती मनदीपकौर, पीजीटी- हिंदी	सदस्य	

आंतरिक शिकायत समिति की कार्यप्रणाली:

- सभी शिकायतों का निपटारा गोपनीय ढंग से किया जाएगा।
- केवल यौन उत्पीड़न और/या कर्मचारियों और छात्रों के भेदभाव से संबंधित मामले ही आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में होंगे।
- शिकायतकर्ता और आरोपी से अलग-अलग बातचीत की जाएगी।
- साक्षात्कार के कार्यवृत्त पर उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर होंगे।
- उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई जाएगी।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर हैंडबुक, 2015।

प्राचार्य

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड
Kendriya Vidyalaya High Ground
चण्डीगढ़ / Chandigarh-160 004
website: www.kvhighgroundsched.com